Integrated Goods & Services Tax Act, 2017

CHAPTER - II

ADMINISTRATION

Section 3: Appointment of officers.

The Board may appoint such central tax officers as it thinks fit for exercising the powers under this Act.

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

अध्याय 2 प्रशासन

धारा 3 : अधिकारियों की नियुक्ति

बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए ऐसे केन्द्रीय कर अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।